न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–61/2017 (जीसीएमएस नम्बर 2017/00122)

01. रामकिशन दत्तक पुत्र श्री रामकुवार, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम डिगो तहसील लालसोट जिला दौसा।

——**अपीलान्ट**

बनाम

01. गिर्राज पुत्र श्री रामकुंवार,
02. रामकरण पुत्र श्री रामकुंवार,
03. रामप्यारी धर्मपत्नी श्री रामकुंवार
04. धोली धर्मपत्नी श्री रामजीलाल,
05. राजेन्द्र पुत्र श्री रामजीलाल,
06. पूजा पुत्री रामजीलाल ना.ब.,
07. ज्याना धर्मपत्नी श्री श्योबक्स,
08. कल्ली धर्मपत्नी श्री हरसहाय (मृतक)
    8/1. हरसहाय पति श्रीमती कल्ली,
    8/2. राजाराम,
    8/3. राधेश्याम,
    8/4. मक्खनलाल,
    8/5. घनश्याम,
    8/6. पृथ्वीराज लल्लू,
09. रूकमा धर्मपत्नी श्री रामसहाय,
10. मूली धर्मपत्नी श्री महादेव, जाति मीना, निवासी ग्राम इन्दावा, तहसील लालसोट जिला दौसा।
11. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा।

——**रेस्पोडेन्ट्स**

उपस्थितिः–

1. **श्री संदीप शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री उमेश गौड, एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 7, 9 10 की ओर से**

निर्णय

दिनांक 19.03.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर **दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन** आदेश दिनांक 13.09.2017 से असंतुष्ट होकर **राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956** की धारा 76 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहरात हुए कथन किया है कि **विवादित भूमि रामकंवार पुत्र जयनारायण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जिस पर शुरू से ही रामकंवार पुत्र जयनारायण का कब्जा चला आ रहा है तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् अपीलान्ट का विवादित भूमि पर आज दिनांक तक कब्जा है परन्तु राजस्व रिकार्ड में रामकवांर की वल्दीयत दर्ज न होने का नाजायज फायदा उठाकर रामकंवार पुत्र टुण्डा द्वारा शुद्धि के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 142 राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर तस्दीक करा लिया है जो कतई अवैंधानिक है क्योंकि तहसीलदार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जांच नही की गई कि आया भूमि रामकंवार पुत्र जयनारायण या रामकंवार पुत्र टूण्डा की खातेदारी भूमि है तथा कब्जे**

P.T.O.

के सम्बन्ध में भी किसी प्रकार की कोई जांच नही की गई, रामकंवार पुत्र जयनारायण भूमि पर काबिज था को भी कोई नोटिस नही दिया जो तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समुख बखूबी साबित किये गये थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर कतई गौर न करके अपीलाधीन दिनांक 13.09.2017 पारित किया है जो पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रतिकूल, खिलाफ कानून, न्याय नियम उपनियम के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि कानूनन राजस्व अभिलेख को शुद्ध करने का अधिकार उप जिला कलक्टर को था, तहसीलदार को राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करने का कोई अधिकार नही था इसलिये भी उक्त नामान्तरकरण संख्या 142 अवैधानिक है व तहसीलदार द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया जो अवैधानिक होने के कारण सरसरी तौर पर ही निरस्तनीय था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी सिद्धान्त की भी अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.09.2017 पारित किया है। उन्होने आगे कथन किया है कि विवादित भूमि पर शुरू से ही रामकंवार पुत्र जयनारायण ही काबिज चला आ रहा है तथा बहैसियत खातेदार काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। रामकंवार पुत्र टुण्डा को विवादित भूमि से कोई लेना–देना नही रहा है, ना ही कोई कब्जा रहा है, ना ही वर्तमान में कोई कब्जा है तथा बिना कब्जे के रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 10 को बेचान किया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 को विवादित भूमि को विक्रय करने का कोई अधिकार ही नही था क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के पूर्व रामकंवार का किसी भी किस्म का कोई सम्बन्ध व वास्ता नही रहा और न ही कोई कब्जा रहा किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कतई गौर न कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.09.2017 पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रामकंवार पुत्र जयनारायण लाऔलाद फौत हो गया था तथा अपीलान्ट को रामकंवार पुत्र जयनारायण ने अपने जीवनकाल में ही गोद ले लिया था तथा उसकी मृत्यु के बाद सारे धार्मिक क्रियाकर्म अपीलान्ट ने ही किये है तथा रामकंवार की पगड़ी भी अपीलान्ट के ही बंधी है तथा अपीलान्ट ही रामकुवांर पुत्र जयनारायण जीवनकाल से ही भूमि पर आज तक कब्जा चला आ रहा है। अपीलान्ट का रामकंवार का गोद पुत्र होने व भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा होने के कारण अपीलान्ट ने उक्त नामान्तरकरण को अपील के माध्यम से चुनौती दी जो तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बखूबी साबित किये गये थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलान्ट की अपील खारिज करने में कानूनी गलती की है जो आदेश निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि गिरदावरी सम्वत् 2009 से 2012 के राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि की खातेदारी व इन्द्राज रामकंवार वल्द जयनारायण साकिन डिगा दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि का खातेदार रामकवांर डिगा का रहने वाला था जबकि रामकवांर पुत्र टुण्डा इन्दावा का रहने वाला है जो तथ्य बखूबी साबित था किन्तु तहसीलदार ने बिना अधिकार के शुद्धिकरण का नामान्तरकरण बिना जांच किये ही तस्दीक किया जाना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बखूबी प्रमाणित किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को भी नजर अन्दाज कर अपील खारिज करने में कानूनी गलती की है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.09.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने कथन किया है कि अपीलान्ट का भूमि विवादग्रस्त से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। अपीलान्ट ने अपने आपको अपील में रामकवांर का दत्तक पुत्र कथन किया है किन्तु इस सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा कोई प्रमाण दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किये गये है तथा गोदग्रहिता को तय करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को ही प्रदत्त है राजस्व न्यायालय को नही। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 142 दिनांक 29.09.1977 के विरूद्ध दिनांक 18.03.2013 को लगभग 36 वर्ष के असाधारण विलम्ब से अपील पेश की गई थी एवं उक्त विलम्ब का कोई सन्तोषजनक कारण भी नही बताया गया एवं इतने लम्बे समय के दौरान रामकुंवार पुत्र टुण्डा के वारिसान ने भूमि का बैचान किया जा चुका है तथा इस दौरान कई बार जमाबंन्दिया बदल चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि जिस आदेश द्वारा रामकंवार पुत्र टूण्डा के नाम नामान्तरकरण संख्या 142 स्वीकार किया गया है, वह आदेश अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न नही है जबकि उक्त आदेश प्रकरण के निर्णय में अहम है क्योंकि प्रकरण में विवाद का बिन्दु ही यही से आरम्भ हुआ तथा उक्त आदेश किस प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, क्या उक्त आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी आदेश जारी करने हेतु विधिक रूप से सक्षम था अथवा नही इत्यादि तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना गौर किये ही बिना कोई समरी जॉच किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2017 पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में समरी जॉच पश्चात् उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का युक्तियुक्त व समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।